

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

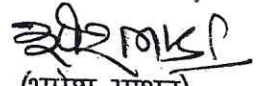
क्रमांक :- एफ.3 (ख)(बी-410/94) / अलेसे-11/1038

दिनांक:- 10-1-22

आदेश

श्री भगवत सिंह चौधरी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा अपराध संख्या 318/2020 दर्ज किये जाने पर इस निदेशालय के आदेश क्रमांक 1028-33 दिनांक 30.12.2020 के द्वारा दिनांक 16.12.2020 से निलम्बित किया गया था।

श्री भगवत सिंह चौधरी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 को निलम्बित हुए 6 माह से अधिक की अवधि पूर्ण हो चुकी है। निर्वाह भत्ता बढ़ाये जाने हेतु श्री चौधरी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर राजस्थान सेवा नियम के नियम 53 (1) के अनुसरण में श्री भगवत सिंह चौधरी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 (निलम्बित) को दिये जा रहे निर्वाह भत्ते में दिनांक 16.06.2021 से 50% की अभिवृद्धि किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।


(भूपेश मांथुर)
निदेशक

क्रमांक :- एफ.3 (ख)(बी-410/94) / अलेसे-11/1038

दिनांक:- 10-1-22

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
2. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाड़ा।
3. कोषाधिकारी, भीलवाड़ा/झालावाड़।
4. उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, भीलवाड़ा।
5. निजी सचिव, निदेशक।
6. श्री भगवत सिंह चौधरी, स.ले.अ. ग्रेड-11 (निलम्बित) कार्यालय कोषालय, झालावाड़।
7. कम्प्यूटर विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने/पीआईएस इन्द्राज हेतु।
8. निजी पत्रावली/पदस्थापन सीट/गोपनीय शाखा/जांच शाखा/रक्षित पत्रावली।


(धीरज सिसोदिया)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)